


282

निगा 4438/2018/रीवा/भू-राज

158

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल व्वालियर सर्किल कोर्ट रीवा जिला रीवा मप्र0



- 1- बाल्मीक तनय स्व0 श्री केमला पटेल उम्र-60 वर्ष पेशा खेती
- 2- रामानुज पटेल तनय स्व0 श्री केमला पटेल उम्र-55वर्ष पेशा खेती
- 3- गुमइया देवी पति श्री उदयभान उम्र-45 वर्ष पेशा खेती

(सभी निवासी ग्राम पुरवा कोठर पोस्ट गोंदरी -27 तहसील मनगवां जिला रीवा मप्र0)

--निगरानीकर्तागण

बनाम

क. जे. आफ. बोट  
राजस्व मण्डल मप्र0 व्वालियर  
(सर्किट कोर्ट) रायण

तनय श्री रामप्रताप पटेल उम्र-65 वर्ष निवासी पुरवा कोठर पोस्ट गोंदरी नं0-27  
तहसील मनगवां जिला रीवा मप्र0

--गैरनिगरानीकर्ता

नायब तहसीलदार वृत्त गढ़ के राजस्व प्रकरण क्रमांक  
6/अ-5/2015-16 के आदेश दिनांक 19.10.2016 का  
हवाला देकर पटवारी व राजस्व निरीक्षक के द्वारा आराजी  
नम्बरी 65/1क, 65/1ख, 65/1ग, 65/2, 65/3, 65/4, व  
65/5 के नक्शा तरमीम की की गयी अवैधानिक कार्यवाही व  
तथाकथित आदेश के विरुद्ध निगरानी याचिका  
अंतर्गत धारा-50 भू राजस्व संहिता

मान्यवर,

निगरानी के आधार

आवेदकगण का विनम्र निवेदन नीचे लिखे अनुसार है :-

- 1- पटवारी हल्का माल के पटवारी के0के0 मिश्र तथा राजस्व निरीक्षक सर्किल गढ़ कमलेन्द्र सिंह के द्वारा मिलकर बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के ही तथा मौके पर बिना कोई जांच किए ही फर्जी प्रकरण क्रमांक व आदेश का हवाला देकर आराजी नम्बरी 65/1क, 65/1ख, 65/1ग, 65/2, 65/3, 65/4, व 65/5 की नक्शा तरमीम की कार्यवाही जिस तरह से की गयी है व न केवल अवैधानिक है बल्कि अधिकारितारहित भी है इस कारण उक्त नक्शा तरमीम किसी भी दृष्टिकोण से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

- 2- ग्राम कोती जनरल नम्बर 78 पटवारी हल्का माल राजस्व निरीक्षक मण्डल गढ़

11211

*(Signature)*

158

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक..... R.4438-रीवा/18..... जिला..... रीवा.....

..... विरुद्ध..... यजुसरायण पटेल.....

1	2	3
16-1-19~	<p>1. आवेदक की ओर से श्री..... अधिवक्ता द्वारा यह नायब तहसीलदार तहसील..... के प्रकरण क्रमांक..... में पारित आदेश दिनांक..... के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू- राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर..... के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक..... को कलेक्टर..... के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p>	

*[Signature]*